प्रेस नोट **15.03.2023**

महिला से चैन व मोबाइल छिनकर भाग रहा अभियुक्त मौके से गिरफ्तार–

दिनांक 14.03.2023 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सरायमेवा गिरी से, रास्ते से जा रही एक महिला से चैन व मोबाइल की छिनैती कर भाग रहा अभियुक्त मानस गुप्ता पुत्र स्व0 अनिल गुप्ता निवासी सिद्धाअहिलासपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को मौके से गिरफ्तार कर कब्जे से छिनैती का सामान मोबाइलफोन व साने की चैन को बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/23 धारा 356,411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 25 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 15.03.2023 को थाना मुहम्मदबााद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा नरेन्द्र यादव, जग्गी यादव, संदीप यादव निवासीगण मनाजीत, संजीव, विद्यानन्द निवासीगण महतवान थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा सुशीला, नन्दीनी, उर्मिला निवासीगण बेलौली सोनबरसा थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र कुमार, शिवनारायण निवासीगण लोहराई, मोती राजभर, संदीप, संजय, वीरेन्द्र राजभर निवासीगण नगवा, ओम भारती निवासी पीयराखास, राजाराम निवासी पीपरहा थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा जितेन्द्र कुंमार निवासी चिश्तिपुर, राहुल यादव निवासी अप्पूपुर, पंकज, अमरजीत निवासीगण इटोरा डोरीपुर थाना कोपागंज, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जुनैद, इरफान, जिशान निवासीगण अललहादपुरा थाना कोतवाली, थाना रामपुर पुलिस द्वारा यशवंत, जयनाथ निवासीगण काठतरांव थाना रामपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

संगठित अपराध/अपराधियों के विरूद्ध मऊ पुलिस–प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.03.2023 को माफिया मुख्तार असांरी अवैध वसूली गैंग के सहयोगी, मऊ में चिन्हित वसूली माफिया और डी–34 गैंग का सदस्य सुरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ का अपने लड़के विवेक सिंह के नाम से क्रम किया गया वाहन बस (टाटा एलपीओ) जिसकी वर्तमान अनुमानित कीमत 20 लाख रूपये है को आज जिलाधिकारी मऊ के आदेश से थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त किया गया।

संम्पत्ति विवरण–

1 . एक अदद वाहन बस (टाटा एलपीओ यूपी 65 सीटी 8194)।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में उक्त सूरेश सिंह पुत्र स्व0 लल्लन सिंह की कुल 09 करोड़ 15 लाख 38 हजार 600 रुपये कीमती विभिन्न प्रकार की चल और अचल संपत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट जब्त किया जा चुका है।

इस तरह अब तक उक्त सूरेश सिंह की कुल 09 करोड़ 35 लाख 38 हजार 600 रूपये की अवैध सम्पत्ति जब्त की जा चुकी है।